



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244115
CG-DL-E-03032023-244115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]
No. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
आय-कर
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

सा.का.नि. 164(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 95(अ), दिनांक 14 फरवरी, 2023 में:—

(i) पृष्ठ 15 पर,—

(क) तालिका के मद (क), पंक्ति 7 में निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह द्वारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54घ/54छ/54छक";			

(ख) मद (ख) के पश्चात्, पंक्ति 7 में “Xi + ख”, अक्षरों व अंकों के स्थान पर “Xi + Xii + ख” अक्षरों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(ii) पृष्ठ सं. 17 पर,—

(क) तालिका के मद (क) के पंक्ति 10 में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54घ/54छ/54छक”;			

(ख) मद (ख) के पश्चात्, पंक्ति 10 में “Xi + ख” अक्षरों व अंकों के स्थान पर “Xi + Xii + ख” अक्षरों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(iii) पृष्ठ सं. 18 पर, तालिका के नीचे पंक्ति ड. में, “ख8* + ख9ड.* + ख11क1*”, अक्षरों व अंकों के लिए “ख8* + ख11क1*” अक्षरों व अंकों का दोनों स्थानों पर प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(iv) पृष्ठ सं. 20 पर, पंक्ति 2, मद(ग) में, “विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गां से गxv का कुल)”, शब्दों व कोष्ठकों के लिए “विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गां से गxiv का कुल)” शब्दों व कोष्ठकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(v) पृष्ठ सं. 22 पर,—

(क) पंक्ति 7 में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखज के तहत प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के तहत परिकलित आय	क	गृह संपत्ति	7क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	7घ	

(ख) पंक्ति 8 में, अंकों तथा शब्दों के लिए “7ख + 7ग”, “7ख + 7ग + 7घ” अंकों तथा शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) पृष्ठ 32 पर,—

(क) पंक्ति 16 में, भाग ख- टी.आई के नीचे “(अनुसूची 1115खखज के क्र.सं.7)” कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों के लिए “(क्र.सं. 13-14-15)” कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(ख) पंक्ति 11 के पश्चात्, संख्यांकित पंक्ति “13”, “14” एवं “15” को क्रमशः “12”, “13” एवं “14” पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(vii) पृष्ठ 34 पर, पंक्ति 4 में, मद (vi) में, “(iv) + (v) + (vi)”, कोष्ठकों तथा अंकों के लिए “(iv) + (v)” कोष्ठकों तथा अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(viii) पृष्ठ 35 पर,—

- (क) पंक्ति 11 व 12 में, शब्दों व अंकों में “10 में शामिल” “9 में शामिल” शब्दों व अंकों को दोनों स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) पंक्ति 13 में, “धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक अथवा धारा 13 की उपधारा(10) के तहत कर प्रभार्य आय (10-11-12-13)” शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के लिए “धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक अथवा धारा 13 की उपधारा(10) के तहत कर प्रभार्य आय (9-10-11-12)” शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;
- (ग) पंक्ति 1, भाग ख – टी.टी.आई के नीचे, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1 कुल आय पर संदेय कर				
क	सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (13-14) भाग ख- कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 13 , भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1क		
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस.आई का (ii) का योग)	1ख		
ग	@ 30%की दर से धारा 115खखग के तहत अज्ञात संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 11, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1ग		
घ	@ 30% की दर से 115खखझ के तहत प्रभार्य आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1घ		
ङ	अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 14, भाग ख- कुल आय के भाग ख 2 के	1ङ		
च	कृषि आय पर छूट [भाग ख2 में अनुप्रयुक्त यदि (10-11) भाग ख- कुल आय अधिकतम राशि कर प्रभार्य से अधिक नहीं है।]	1च		
छ	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख +1ग +1घ + 1ङ -1च)	1छ”;		

(ix) पृष्ठ 37 पर, पंक्ति ख में “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ प्रस्तुत है” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ/16ङ. प्रस्तुत है” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों का प्रतिस्थापन किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 11/2023/फा. सं. 370142/2/2023 – टीपीएल]]

रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव